राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1583/2024

मुजाहिद खान

–अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा विभाग(ग्रुप–2), सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. अति. राज्य परियोजना निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा काउंसिल, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करमोड़ा, सवाईमाधोपुर
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक मलारणा डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.04.2024
आदेश की दिनांक : 09.04.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेश खिलेरी, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (इतिहास) के पद पर राज.उ.मा.विद्यालय, करमोड़ा, सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। उनका तर्क है कि शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश दिनांक 09.10.2023 (अनुलग्नक–1) पारित किया है, जिसके द्वारा शिक्षा विभाग के कार्मिकों/अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति राजस्थान स्कूल शिक्षा परीषद के अधीनस्थ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संदर्भ व्यक्ति (व्याख्याता समकक्ष) पद पर ''राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम–144 ''क'' के तहत एक वर्ष के लिए आदेश पारित किये गये थे। उनका तर्क है कि उक्त आदेश जारी होने की दिनांक से आज दिनांक तक अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी नहीं हुये है, जिससे कार्यालय स्तरीय अनेक कार्यों का लम्बन बढ़ता जा रहा है।
2. अपीलार्थी उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहा है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना

अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

3. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)